



एमएसटीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

MSTC LIMITED

(A Govt of India Enterprise)

CIN : L27320WB1964GOI026211

e-assuring
INDIA

MSTC/CS/SE/663

20th August, 2025

1. The Dy. Manager (Listing)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001.
(Scrip Code: 542597)
2. The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai 400 051
(Scrip Code: MSTCLTD)

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Publication

In terms of Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of the Notice for Transfer of Unclaimed Dividend amount and Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) published in the newspapers viz "Financial Express" (English), "Jansatta" (Hindi), "Prabhat Khabar" (Hindi) and "Arthik lipi" (Bengali) dated 20th August, 2025.

The aforesaid information is also available on the website of the company at <https://www.mstcindia.co.in/content/Publication.aspx>.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **MSTC Limited**

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary & Compliance Officer

www.mstcindia.co.in / www.mstcecommerce.com

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. सीएफ 18/2 मार्ग सं. 175 एक्शन एरिया 1 सी न्यूटाउन कोलकाता 700156 प.ब.

Regd. Office : Plot No. CF18/2, Street No. 175, Action Area 1C, New Town, Kolkata-700156 W.B.

**MSTC LIMITED**

(A Govt. of India Enterprise)

CIN: L27320WB1964GOI026211

Registered Office : Plot No. CF-18/2, Street No.-175,
AA 1C, New Town, Kolkata - 700156, Phone : 033-2340 0000
Email : cssectt@mstcindia.in, Website : www.mstcindia.co.in

NOTICE**Transfer of Unclaimed Dividend amount and Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

This Notice is published pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules").

The Rule, inter alia, contain provisions for transfer of dividend amounts and equity shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to IEPF established by the Central Government. Accordingly, the Company has transferred the unclaimed dividends to IEPF which were belonging to the shareholders whose dividend were unpaid/unclaimed for the financial year ended March 31, 2017.

The Shareholders are requested to note that the unclaimed dividend amount and equity shares, if any, in respect of which dividend is not claimed for seven consecutive years along with the unclaimed dividend amount for the financial year ended March 31, 2018 (declared and paid in 2018) will be due for transfer to IEPF on 2nd November, 2025. The Shareholders are advised to claim such dividends by 1st November, 2025. The Complete details of the unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 31st March, 2025 is uploaded on Company's website at the link : <https://www.mstcindia.co.in/content/UnclaimedDividend.aspx>

The concerned shareholders are requested to note that in case the dividends related to financial year ended March 31, 2018 are not claimed by 1st November, 2025, their unclaimed dividend amount and entire equity shares will be transferred to IEPF, without any further notice and no claim shall lie against the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent in respect of equity shares so transferred to IEPF.

For shares which are in physical form and due for transfer to IEPF, the Company shall issue new share certificates in lieu of original share certificates for the purpose of transfer of share to IEPF as per rules, and upon such issue, the original share certificates will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Attention of the shareholders is drawn to the fact that, they may claim the said unclaimed dividend amount and equity shares from IEPF after the same are transferred by the Company, by making an online application to IEPF in Form IEPF-5 available at www.iepf.gov.in and also send copy of the same duly signed along with requisite documents to the Company at its registered office for verification of the claim.

For MSTC Limited**Sd/-****Date: 20.08.2025****Ajay Kumar Rai****Place: Kolkata****Company Secretary & Compliance Officer**



एमएसटीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: L27320WB1964GOI026211

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. सीएफ-18/2, स्ट्रीट सं. 175, एए 1सी,

न्यू टाउन, कोलकाता-700156, दूरभाष: 033-2340 0000

ई-मेल: cssectt@mstcindia.in, वेबसाइट: www.mstcindia.co.in

सूचना

कंपनी के अदावी लाभांश राशि एवं इक्विटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 यथा संशोधित ("नियम") के अनुसार प्रकाशित की गई है।

इस नियम के अंतर्गत, अन्य तथ्यों के साथ-साथ, लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के प्रावधान हैं। तदनुसार, कंपनी ने अदावी लाभांशों को आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया है, जो उन शेयरधारकों से संबंधित थे जिनके लाभांश 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदत्त/अदावी थे।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि अदावी लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों, यदि कोई हों, जिसके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, साथ ही 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदावी लाभांश राशि (वर्ष 2018 में घोषित एवं भुगतान की गई) को 2 नवंबर, 2025 को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। शेयरधारकों को 1 नवंबर, 2025 तक ऐसे लाभांशों का दावा करने की सलाह दी जाती है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास पड़ी अदत्त और अदावी राशि का सम्पूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक: <https://www.mstcindia.co.in/content/Unclaimed Dividend.aspx> पर अपलोड किया गया है।

संबंधित शेयरधारकों से ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभांशों का दावा यदि 1 नवंबर, 2025 तक नहीं किया जाता है, तो उनकी अदावी लाभांश राशि एवं सम्पूर्ण इक्विटी शेयर बिना किसी सूचना के आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे तथा आईईपीएफ को हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी या कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

जो शेयर भौतिक रूप में हैं और आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने हैं, उसके लिए कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ को शेयर हस्तांतरित करने के उद्देश्य से मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और इस तरह जारी होने पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही रद्द हो जाएंगे और वे अपरक्राम्य (नॉन-नेगोशिएबल) माना जाएगा।

शेयरधारकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि, वे कंपनी द्वारा हस्तांतरित किए जाने के बाद आईईपीएफ से कथित अदावी लाभांश राशि एवं इक्विटी शेयरों का दावा कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें www.iepf.gov.in पर उपलब्ध प्रपत्र आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं दावे के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उसकी प्रतिलिपि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज सकते हैं।

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

हस्ता/-

दिनांक : 20.08.2025

अजय कुमार राय

स्थान : कोलकाता

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



एमएसटीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: L27320WB1964GOI026211

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. सीएफ 18/2, स्ट्रीट सं. 175, एए 1 सी,

न्यू टाउन, कोलकाता-700156, दूरभाष: 033 2340 0000

ई-मेल: cssectt@mstcindia.in, वेबसाइट: www.mstcindia.co.in

सूचना

कंपनी के अदावी लाभांश राशि एवं इक्विटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 यथा संशोधित ("नियम") के अनुसार प्रकाशित की गई है।

इस नियम के अंतर्गत, अन्य तथ्यों के साथ-साथ, लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के प्रावधान हैं। तदनुसार, कंपनी ने अदावी लाभांशों को आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया है, जो उन शेयरधारकों से संबंधित थे जिनके लाभांश 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंदाज/अदावी थे।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि अदावी लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों, यदि कोई हो, जिसके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, साथ ही 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदावी लाभांश राशि (वर्ष 2018 में घोषित एवं भुगतान की गई) को 2 नवंबर, 2025 को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। शेयरधारकों को 1 नवंबर, 2025 तक ऐसे लाभांशों का दावा करने की सलाह दी जाती है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास पड़ी अदत्त और अदावी राशि का सम्पूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक: <https://www.mstcindia.co.in/content/Unclaimed Dividend.aspx> पर अपलोड किया गया है।

संबंधित शेयरधारकों से ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभांशों का दावा यदि 1 नवंबर, 2025 तक नहीं किया जाता है, तो उनकी अदावी लाभांश राशि एवं सम्पूर्ण इक्विटी शेयर बिना किसी सूचना के आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे तथा आईईपीएफ को हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी या कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

जो शेयर भौतिक रूप में हैं और आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने हैं, उसके लिए कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ को शेयर हस्तांतरित करने के उद्देश्य से मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और इस तरह जारी होने पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही रद्द हो जाएंगे और ये अपरक्राम्य (नॉन-नेगोशिएबल) माना जाएगा।

शेयरधारकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि, वे कंपनी द्वारा हस्तांतरित किए जाने के बाद आईईपीएफ से कथित अदावी लाभांश राशि एवं इक्विटी शेयरों का दावा कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें www.iepf.gov.in पर उपलब्ध प्रपत्र आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं दावे के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उसकी प्रतिलिपि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज सकते हैं।

कृते एमएसटीसी लिमिटेड
हस्ता/-

दिनांक : 20.08.2025

स्थान : कोलकाता

अजय कुमार राय

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



এমএসটিসি লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উপকর্ম)
CIN : L27320WB1964GOI026211
নিবন্ধিত কার্যালয় : প্লট নং সিএফ-১৮/২, প্লট নং ১৭৫, এম ১সি, নিউ টাউন,
কলকাতা-৭০০১৫৬, ফোন : ০৩৩-২৬৪০ ০০০০
ই-মেইল : cssecti@mstcindia.in, ওয়েবসাইট : www.mstcindia.co.in

বিজ্ঞপ্তি

**কোম্পানির দাবিহীন লভ্যাংশ রাশি এবং ইকুইটি শেয়ারগুলির
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর**

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অর্থারিটি (আ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ("রুলস")-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে।

এই নিয়মের অন্যান্য বিধানের মধ্যে একটি হলো যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারের লভ্যাংশ উপর্যুপরি সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত বা দাবিহীন, সেই লভ্যাংশের পরিমাণ এবং ইকুইটি শেয়ারগুলো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (IEPF)-এ হস্তান্তর করা। সেই অনুসারে, কোম্পানি ৩১শে মার্চ, ২০১৭-এর আর্থিক বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের যে লভ্যাংশ অপরিশোধিত বা দাবিহীন ছিল, তা IEPF-এ হস্তান্তর করেছে।

শেয়ারহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে যে, কোনো ইকুইটি শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ যদি উপর্যুপরি সাত বছর ধরে দাবি করা না হয়, তাহলে সেই শেয়ার এবং ৩১শে মার্চ, ২০১৮-এর আর্থিক বছরের (২০১৮ সালে ঘোষিত ও পরিশোধিত) দাবিহীন লভ্যাংশের পরিমাণ ২রা নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে IEPF-এ স্থানান্তরের জন্য নির্ধারিত হবে। শেয়ারহোল্ডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ১লা নভেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে এই লভ্যাংশগুলি দাবি করে নেন। ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির কাছে জমা থাকা অপরিশোধিত এবং দাবিহীন অর্থের সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে এই নিচ্ছে আপলোড করা হয়েছে : <https://www.mstcindia.co.in/content/UnclaimedDividend.aspx>

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, যদি ৩১শে মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের লভ্যাংশ ১লা নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে দাবি না করা হয়, তাহলে তাদের দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং সম্পূর্ণ ইকুইটি শেয়ার আর কোনও নোটিশ ছাড়াই IEPF-এ স্থানান্তরিত হবে এবং IEPF-এ স্থানান্তরিত ইকুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানি বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না।

যে সমস্ত শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে রয়েছে এবং IEPF-এ স্থানান্তরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানিটি IEPF-এ শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে আসল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। এই নতুন সার্টিফিকেট ইস্যু হওয়ার পর, আসল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল এবং অ-হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হবে। শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, কোম্পানি কর্তৃক IEPF-এ লভ্যাংশ এবং ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তরিত হওয়ার পর, তারা www.iepf.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ IEPF-5 ফর্মে একটি অনলাইন আবেদন করার মাধ্যমে IEPF থেকে সেই দাবিহীন লভ্যাংশ এবং ইকুইটি শেয়ারগুলি ফেরত পেতে পারেন। দাবির যাচাইকরণের জন্য আবেদনপত্রের একটি স্বাক্ষরিত কপি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও পাঠাতে হবে।

এমএসটিসি লিমিটেড-এর তরফে
স্বাঃ

তারিখ : ২০.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অজয় কুমার রায়
কোম্পানি সচিব এবং অনুপালন অধিকারী